GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 10 August , 2024

Edition: International **Table of Contents**

Page 03 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां देने वाला नया विधेयक
Page 04 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	विपक्षी दल उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में
Page 05 **Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय**	भारत दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए नई उपचार पद्धति लागू करेगा
Page 14 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	अमन ने भारत और छत्रसाल का झंडा ऊंचा रखा
समाचार में स्थान	गांधी सागर अभयारण्य
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 : शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही, नागरिक चार्टर**	जनसंख्या जनगणना नहीं - महत्वपूर्ण आंकड़ों के बिना अंधेरे में
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	**विषय:** संयुक्त राष्ट्र (यूएन)

Page 03 : GS 2 : Indian Polity

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करना और इसकी स्वायत्तता में सुधार करना है।

- 1905 के रेलवे बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को 1989 के रेलवे अधिनियम में विलय करके, विधेयक भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रयास करता है।

खबर के बारे में:

- विधेयक का परिचय: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को लोकसभा में रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया।
- उद्देश्य: विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करना और इसके कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना है।
- वर्तमान स्थिति: 1989 के रेलवे अधिनियम ने 1890 के भारतीय रेलवे अधिनियम की जगह ली, लेकिन रेलवे बोर्ड वैधानिक समर्थन के बिना काम करना जारी रखा है।
- प्रस्तावित परिवर्तन: विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने का प्रयास करता है, जिससे कानूनी ढांचे को सरल बनाया जा सके और दो अलग-अलग कानूनों को संदर्भित करने की आवश्यकता कम हो।

रेलवे बोर्ड:

- स्थान: मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है।
- ऐतिहासिक संदर्भ: रेलवे बोर्ड की स्थापना रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के माध्यम से की गई थी, जब रेलवे को लोक निर्माण विभाग से अलग कर दिया गया था।
- शासी निकाय: रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय है, जो रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और कई सदस्य शामिल हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, संचालन, वित्त और कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार लोग शामिल हैं।
- जिम्मेदारियाँ: नीतियाँ बनाना, प्रशासन की देखरेख करना और रेलवे के संचालन और विकास का समन्वय करना।
- कार्य: रेलवे के बुनियादी ढाँचे, रोलिंग स्टॉक, सुरक्षा और ग्राहक सेवाओं का प्रबंधन करना।
- निर्णय लेना: रणनीतिक निर्णयों, बजट बनाने और रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

New Bill to give statutory powers to Railway Board

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw on Friday introduced the Railways (Amendment) Bill, 2024 in the Lok Sabha, which seeks to grant statutory powers to the Railway Board and enhance the functioning and independence of the body.

The Railways was separated from the Public Works Department and the Railway Board Act was enacted in 1905, he said. "A contemporary railway law, the Railways Act, was enacted in 1989 by repealing the Indian Railways Act, 1890. However, the Railway Board continued to function through an executive decision without any statutory sanction."

"The current Bill proposes to simplify the legal framework by incorporating the proposals of the Indian Railway Board Act, 1905 in the Railways Act, 1989. This will reduce the need to refer to two laws," Mr. Vaishnaw said in the Statement of Objects and Reasons of the Bill.

UPSC Prelims PYQ : 2013

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है।
2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहता है, तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाना भी आवश्यक है।
3. उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d)

GEO IAS
It's about quality

Page 04 : GS 2 : Indian Polity

विपक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मंजूरी की आवश्यकता है।

- यह अभूतपूर्व कदम धनखड़ द्वारा संसदीय कार्यवाही को संभालने के बारे में शिकायतों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें विपक्ष के भाषण पर कथित प्रतिबंध और सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां शामिल हैं।
- विपक्ष, हालांकि आवश्यक संख्या की कमी के बावजूद, अपनी चिंताओं को उजागर करने और अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड पर रखने का लक्ष्य रखता है, अगले संसदीय सत्र में प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है।

Opposition parties prepare to move no-confidence motion against V-P

About 50 MPs have come together on the decision, saying they should be given the space and time to speak, that the House should be run on rules and convention and that Jagdeep Dhankhar must refrain from personal remarks against members

Sobhana K. Nair
NEW DELHI

As many as 50 Opposition MPs, sources said, have signed a resolution to bring a no-confidence motion against Vice-President Jagdeep Dhankhar under Article 67(B) of the Indian Constitution, which states that the Vice-President can be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by an effective majority and agreed upon by the Lok Sabha with a simple majority.

The Opposition's decision comes at a time of a deteriorating relationship with Rajya Sabha Chairman Mr. Dhankhar, marked by frequent run-ins. The Opposition's resolution is based on three points. The MPs say there is a marked lack of space and time for the Opposition to express its views. The Opposition argues that parliamentary convention dictates that the Leader of the Opposition is conceded the floor, if he gets up to speak. Their complaint is that Congress president and the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge's microphone is routinely turned off.

The second point that the Opposition has raised is that the House should be run by "rules and convention" and the floor of the House is "supreme" to any other area in Parliament. "Every time we complain, we are told to see the Chairman in his chamber. The problems generated on the floor of the House should be sorted there," a senior Opposition leader said.

The third accusation that the Opposition has made against the Chairman is on "personal remarks against members." "Rule 238(2) of the Rajya Sabha clearly states that a member while speaking shall not make a personal charge against a member. This is a rule that the Chairman must also abide by," another Opposition member pointed out.

If the Opposition moves such a resolution, it will be the first such occasion in Indian parliamentary history.

Article 67(B) under which the Opposition is planning to move the resolution states, "A Vice-President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People." It explicitly says that for moving this resolution "at least fourteen days notice" has to be given. Sources said that the move was being talked about for over a week but the confrontation in the House over the last few days was the last straw.

With both Houses of Parliament adjourned sine die, Opposition leaders said that they would keep the issue alive and would make the move in the next session. They conceded that they may not have the numbers to make the final push.

In the Rajya Sabha, the Opposition INDIA bloc, barring the YSR Congress, the Bharat Rashtra Samithi and the Biju Janata Dal, has 86 members. The resolution also has to pass in Lok Sabha. "This is not about arithmetic. It is about relaying our sentiments and putting it on record," an Opposition leader said.

In protest: Opposition members after staging a walkout during the Parliament session on Friday. PTI

भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में:

- भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है।
- संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत स्थापित, उपराष्ट्रपति का कार्यालय भारत सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य जिम्मेदारियाँ:

- **राज्यसभा के सभापति:**
  o उपराष्ट्रपति की प्राथमिक जिम्मेदारी संसद के ऊपरी सदन, राज्य सभा (राज्यों की परिषद) के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना है।
  o इस क्षमता में, उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बहस और चर्चाएँ सुचारू रूप से और प्रक्रिया के नियमों के अनुसार आयोजित की जाती हैं।

- **कार्यवाहक राष्ट्रपति:**
  o राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति की स्थिति में, या यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो उपराष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है या राष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है।

- **उत्तराधिकार:**
  o राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी होता है।
  o हालाँकि, उपराष्ट्रपति स्वचालित रूप से राष्ट्रपति की भूमिका नहीं ग्रहण करता है; बल्कि, यह पद तब तक अस्थायी होता है जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता।

- **चुनाव प्रक्रिया:**
  o उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है।
  o चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है।

- **योग्यताएँ:**
  o उपराष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवार को निम्न होना चाहिए:
  · भारत का नागरिक।
  · कम से कम 35 वर्ष की आयु।
  · राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य।

- **कार्यकाल और पदच्युति:**
  o उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है, लेकिन बाद के कार्यकाल के लिए फिर से चुना जा सकता है।
  o उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद से इस्तीफा दे सकता है।
  o संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा सहमति से भी हटाया जा सकता है।
  o अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति से हटाया जा सकता है।

o इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए "कम से कम चौदह दिन का नोटिस" देना होगा।

UPSC Prelims PYQ : 2014

प्रश्न: भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।
2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c)

Note : Here No-Confidence is regarding Prime Minister and Council of Ministers

GEO IAS
It's about quality

Page 05 : GS 2 : Social Justice – Health

भारत दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए बीपीएएल (बेडक्वीलाइन, प्रीटोमानिड और लाइनज़ोलिड) दवा को लागू करने के लिए तैयार है, जिसकी शुरुआत इस महीने प्रशिक्षण के साथ होगी।

India to roll out new treatment regimen for drug-resistant TB

Patients with MDR-TB and XDR-TB to be treated with BPaL, which will bring down treatment time to around six months from the earlier duration of 18 to 24 months; training to begin this month

Bindu Shajan Perappadan
NEW DELHI

India is getting ready to roll out the BPaL (bedaquiline, pretomanid, and linezolid) regimen for all multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) and extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) patients. The training for this new exercise is scheduled to begin this month.

This is a significant move in the country's battle against M/XDR-TB, with the new drug regimen indicating good results in countries such as Pakistan, South Africa, and Ukraine.

Announcing this on social media on Friday, Soumya Swaminathan, principal adviser, National Tuberculosis Elimination Programme, said, "India is getting ready to roll out BPaL regimen for all M/XDRTB patients – training to begin this month. This should improve treatment outcomes & help thousands of patients. Scaling up NAAT coverage will be an essential element of the strategy."

A nucleic acid amplification test, or NAAT, for tuberculosis (TB) is a molecular test used to detect the DNA (deoxyribonucleic acid) of Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) in a sputum or other respiratory sample.

Welcoming the announcement, Leena Menghaney, South Asia head of humanitarian aid organisation Médecins Sans Frontières, said: "After the availability of generic bedaquiline cost to TB programmes has fallen - BPaLM price is $426 ($130 bedaquiline, $238 pretomanid, $31 linezolid and $27 moxifloxacin). This is a momentous day for people with drug-resistant tuberculosis, because India will finally replace many of the longer, arduous, and less effective treatments by offering better, safer, and shorter BPaLM treatment that is much more likely to cure this deadly disease."

A senior Health Ministry official explained that after the introduction of the new anti-TB drug pretomanid, which is prescribed as part of the BPaL regimen, medical practitioners and researchers noted that the combination drastically cut short the TB treatment duration by half.

From a treatment duration range of 18 to 24 months, BPaL brings down treatment time to around six months. Furthermore, the older all-oral drug regimen included nearly 14 different anti-TB drugs for a patient to take every day. With BPaL, it is likely to come down to just three tablets daily.

In a paper titled "Savings from the introduction of BPaL and BPaLM regimens at the country level" published last month, the authors noted that in 2022, the World Health Organization recommended the six-month regimens BPaL (bedaquiline + pretomanid + linezolid) and BPaLM (BPaL + moxifloxacin) as treatment options for most forms of drug-resistant TB.

The study found that through the BPaL and BPaLM regimens, drug-resistant TB treatment has become more effective, shorter, less burdensome for patients, and cheaper for both health systems and patients.

New era for TB treatment

The upcoming BPaL regimen promises a significant shift in the fight against drug-resistant tuberculosis

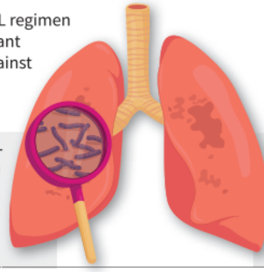

1 **BPaL** is a new all-oral combination of drugs consisting of bedaquiline (B), pretomanid (Pa) and linezolid (L)

2 It brings down **treatment time** to around six months from the earlier duration of 18 to 24 months

3 It has been found to be **cheaper** for both health systems and patients

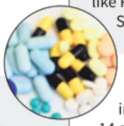

4 The new drug regimen has indicated **good results** in countries like Pakistan, South Africa, and Ukraine

5 The older regimen includes nearly 14 different anti-TB drugs. With BPaL, it may come down to **just three**

समाचार के बारे में:

- बीपीएएल रेजिमेन रोलआउट: भारत जल्द ही सभी मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट (एमडीआर-टीबी) और व्यापक रूप से ड्रग-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (एक्सडीआर-टीबी) रोगियों के लिए बीपीएएल रेजिमेन (बेडाक्विलिन, प्रीटोमैनिड और लाइनज़ोलिड) शुरू करेगा।
- प्रशिक्षण और कार्यान्वयन: नए रेजिमेन के लिए प्रशिक्षण इस महीने शुरू होगा।

- सकारात्मक परिणाम: इस रेजिमेन ने पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन जैसे देशों में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं।
- एनएएटी परीक्षण: माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डीएनए का पता लगाने के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट (एनएएटी) रणनीति में महत्वपूर्ण होगा।
- लागत में कमी: जेनेरिक बेडाक्विलिन के साथ, बीपीएएल की लागत कम हो जाती है, जिससे यह अधिक किफायती हो जाता है।
- उपचार अवधि: बीपीएएल टीबी उपचार समय को 18-24 महीनों से घटाकर लगभग छह महीने कर देता है, जिससे दैनिक दवा की मात्रा 14 दवाओं से घटकर तीन टैबलेट रह जाती है।
- डब्ल्यूएचओ की संस्तुति: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2022 में दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए प्रभावी उपचार के रूप में बीपीएएल और बीपीएएलएम का समर्थन किया।

BPAL व्यवस्था का महत्व

- अध्ययनों और परीक्षणों से पता चला है कि बीपीएएल व्यवस्था में पुराने उपचारों की तुलना में एमडीआर और एक्सडीआर टीबी के उपचार में अधिक सफलता दर है।
- यह एमडीआर/एक्सडीआर-टीबी के लिए उपचार अवधि को पारंपरिक 18-24 महीनों से घटाकर लगभग 6 महीने कर देता है।
- यह पूरी तरह से मौखिक है और इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, जिससे रोगियों के लिए उपचार का पालन करना आसान हो जाता है।
- यह रोगियों को प्रतिदिन लेने वाली दवाओं की संख्या को 14 से घटाकर केवल 3 कर देता है।

तपेदिक (टीबी)?

- **के बारे में:**

  o टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो माइकोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित है जिसमें लगभग 200 सदस्य हैं।

  o कुछ माइकोबैक्टीरिया मनुष्यों में टीबी और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं और अन्य कई प्रकार के जानवरों को संक्रमित करते हैं।

  o मनुष्यों में, टीबी सबसे आम तौर पर फेफड़ों (फुफ्फुसीय टीबी) को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों (एक्स्ट्रा-फुफ्फुसीय टीबी) को भी प्रभावित कर सकता है।

  o टीबी एक बहुत ही प्राचीन बीमारी है और मिस्र में 3000 ईसा पूर्व से ही मौजूद होने का दस्तावेज है। यह एक उपचार योग्य और इलाज योग्य बीमारी है।

संक्रमण प्रसार:

o हर साल, 10 मिलियन लोग टीबी से बीमार पड़ते हैं। एक रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी होने के बावजूद, हर साल 1.5 मिलियन लोग टीबी से मरते हैं - जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा संक्रामक हत्यारा बनाता है।

o टीबी एचआईवी से पीड़ित लोगों की मौत का प्रमुख कारण है और रोगाणुरोधी प्रतिरोध में भी एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

o टीबी से बीमार पड़ने वाले अधिकांश लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, लेकिन टीबी पूरी दुनिया में मौजूद है। टीबी से पीड़ित सभी लोगों में से लगभग आधे 8 देशों में पाए जा सकते हैं: बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका।

दवा प्रतिरोधी टीबी क्या है?

- दवा प्रतिरोधी तपेदिक (टीबी) तब होता है जब टीबी बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है।

- यह प्रतिरोध अधूरे या गलत उपचार व्यवस्थाओं से उत्पन्न हो सकता है।
- दवा प्रतिरोधी टीबी का इलाज करना अधिक कठिन हो सकता है और इसके लिए वैकल्पिक दवाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें अक्सर लंबी और अधिक जटिल उपचार प्रक्रिया शामिल होती है।
- यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है, जिससे संक्रमण और उपचार विफलता का जोखिम बढ़ जाता है।

टीबी से निपटने के लिए विभिन्न पहल क्या हैं?

- **वैश्विक प्रयास:**
  o WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ एक संयुक्त पहल "फाइंड. ट्रीट. ऑल. #एंडटीबी" शुरू की है।
  o WHO वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट भी जारी करता है।

भारत के प्रयास:

o प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान
o तपेदिक उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) (2017-2025)
o टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान
o निक्षय पोषण योजना

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निक्षय पोषण योजना निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है?
a) कैंसर
b) क्षय रोग (टी.बी.)
c) एड्स
d) स्कर्वी

उत्तर: b)

UPSC Mains PYQ : 2014

प्रश्न: क्या एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और डॉक्टर के पर्चे के बिना मुफ्त उपलब्धता, भारत में दवा प्रतिरोधी रोगों के उभरने में योगदान दे सकती है? निगरानी और नियंत्रण के लिए उपलब्ध तंत्र क्या हैं? इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों पर आलोचनात्मक चर्चा करें।

Page : 14 : Prelims Fact

छत्रसाल अखाड़े के होनहार भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों को पार किया।

- सेमीफाइनल में कड़ी हार के बाद, वह वजन कम करने में सफल रहे और कांस्य पदक के मुकाबले में डेरियन टोई क्रूज़ को हराया।

Aman keeps India and Chhatrasal's flag flying high

The Indian shakes off the humbling loss in the semifinals, goes through the rigmarole of making the weight before dominating Cruz for the 57kg bronze

Insatiable hunger: Smarting from his loss in the last-four bout, Aman — relentless like a pitbull — racked up takedown after takedown against Cruz. RITU RAJ KONWAR

PARIS 2024

Jonathan Selvaraj
PARIS

Aman Sehrawat didn't brood. On Thursday evening, up against former Olympic silver medallist Rei Higuchi in the semifinals he barely lasted a round. In no time he trailed 10-0 and the bout was stopped – the Japanese declared winner by technical superiority.

There was no time for self pity. The 21-year-old rushed out and began his weight control regime. He had 1.5 kilos to lose before Friday morning's weigh in so that he could make weight for the bronze meal bout. Aman wasn't taking any chances.

He pulled on his black sweatsuit and headed to the mat in the training hall. He shadow practised for the next hour and a half. Then he hit the gym. When he stood on the scales three hours later, he saw what he was looking for. 56.80. He didn't drink nor eat, but importantly he went to bed relieved.

"It was hard but not anything more than what he can do. This is what we do," said coach Virender Singh.

Only after he passed his weigh in, did Aman drink something. By evening, he was ready to go.

That sucked for his opponent Darian Toi Cruz of Puerto Rico. A former collegiate champion in the USA, he is good. But the Indian had a hunger that would not be satiated by food.

Cruz puts up a challenge early on and even led 3-2 but Aman was relentless like a pitbull. He keeps handfighting, snapping Cruz's neck down and sapping his energy. As the fight wore on, the Indian's pace took its toll. A close fight at 6-5 became a blowout as Aman racked up takedown after takedown to win 13-5.

Aman thus joins an elite list of men's Olympic wrestling medallists including two time Olympic medallist Sushil Kumar, 2012 bronze medallist Yogeshwar Dutt, Tokyo silver medallist Ravi Dahiya and bronze medallist Bajrang Punia.

All of them have emerged from an *akhara* that is to Indian wrestling what *La Massia* is to Spanish football.

No easy days

There are no easy days at Chhatrasal Akhara in New Delhi. It is an all male boot camp. The boys live cramped five or more to a room. In the winter you shiver. In the summer you sweat. The place smells constantly of sweat.

There's no place for weakness or softness here. If you think you are special, you will be quickly cut to size. There's always someone as hungry as you. Willing to do more than you. You do what you have to do or you go home.

But Chhatrasal isn't just an academy for Aman. It's also home. When he was 11 he was brought there by his uncle. Although he had wrestled in his village Birohar in Haryana, that wasn't the only purpose he was brought there. He had nowhere else to go.

Aman's past is indeed painful. When he was 10, his mother died by suicide. His grief striken father died the same way a year later. At Chhatrasal if not a wrestler he could at least get three meals a day and help out some of the more established wrestlers.

Since he arrived at Chhatrasal, Aman's life revolved around training and competition. "He has almost no distractions. He has singular minded focus on training," says Praveen Kumar, one of the coaches at Chhatrasal.

"Chhatrasal Stadium is my home. The wrestlers here are my family. If someone comes and asks me to go somewhere for Diwali, I don't agree. I make it clear I'm not leaving Chhatrasal. Now people also know that this is my mentality. I don't like roaming around or going around Delhi either," says Aman.

Aman slowly made a name for himself. He made his way through the Nationals winning gold in 2022. He even started making a mark at the international level – becoming India's first U-23 World Champion in 2022 and then winning an Asian Championship gold in 2023.

His exploits earned him the only real concession Chhatrasal provides it's best athletes – a prefabricated room which he only had to share with two others. On its wall Aman put up a handpainted poster of the Olympic rings. Below it – in English – he wrote 'If it was easy everyone would do it'.

But while he dreamt of the Olympics, he had to get through his biggest challenge yet. Fellow Chhattrasal trainee Ravi Dahiya had an Olympic silver medal. After two losses, Aman finally beat his senior rival at the selection trials.

He missed out on a quota at the Asian qualifers but started preparing right after for the World Olympic qualifers and won the quota.

Placed in a tough group in Paris, he once again did what he had to do both on the mat and outside. By the time he was done with the competition he had as a memento a raw cut on the bridge of his nose to go with the bronze medal around his neck. The cut will heal, while the medal he said will not satisfy him.

Life will not change that much. Aman said he'll go back to the same room he shares with two other athletes. He'll continue to train as he's always done. The only change is his dream. "I'm going to win a gold medal next time," he says.

समाचार के बारे में:

- नई दिल्ली के छत्रसाल अखाड़े के 21 वर्षीय पहलवान अमन सेहरावत ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर उल्लेखनीय लचीलापन और समर्पण का परिचय दिया।

- पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता री हिगुची से सेमीफाइनल में हारने के बाद, सेहरावत ने तेजी से अपना वजन नियंत्रित किया और कांस्य पदक मैच के लिए कड़ी मेहनत की।
- डेरियन टोई क्रूज़ जैसे कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के बावजूद, सेहरावत के अथक प्रदर्शन और रणनीतिक दृष्टिकोण ने उन्हें 13-5 से जीत दिलाई।
- व्यक्तिगत त्रासदियों और कठिन प्रशिक्षण वातावरण का सामना करने के बाद, सेहरावत की सफलता उनके ओलंपिक सपनों को प्राप्त करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

पदक विजेताओं की पूरी सूची

भारत ने पेरिस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 5 कांस्य पदक और 1 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं।

	खेल	पदक	विवरण
मनु भाकर	10 मीटर एयर पिस्टल महिला	कांस्य	22 प्रयासों के बाद 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
मनु भाकर, सरबजोत सिंह	10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम	कांस्य	यह एक टीम इवेंट था। मनु अब एक ही ग्रीष्मकालीन खेलों में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं।
स्वप्निल कुसाले	50 मीटर राइफल 3 पोजीशन	कांस्य	इस इवेंट में पहला भारतीय पदक।
पुरुष हॉकी टीम	हॉकी	कांस्य	तीसरे स्थान के प्लेऑफ में स्पेन को 2-1 से हराया, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दोनों गोल किए।
नीरज चोपड़ा	पुरुषों की भाला फेंक	चांदी	89.45 मीटर की दूरी के साथ पदक हासिल किया। ट्रैक-एंड-फील्ड में दो ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने।
अमन सहरावत	पुरुषों की कुश्ती फ्रीस्टाइल 57 किग्रा	कांस्य	पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा श्रेणी में प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज़ को 13-5 से हराया।

Location In News : Gandhi Sagar Sanctuary

मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभयारण्य चीतों के अगले बैच के पुनर्वास की योजना के लिए पसंदीदा स्थान है।

- हालांकि, गुजरात के कच्छ के रण में बन्नी को भी उनमें से कुछ को रखने के लिए तैयार किया जा रहा है।

भारत में चीता का पुनः परिचय:

- भारत में, 1950 के दशक की शुरुआत में शिकार और उनके आवास के नुकसान के कारण चीते गायब हो गए।
- भारत में चीता के पुनः परिचय के लिए कार्य योजना / परियोजना चीता (2022)' का उद्देश्य अफ्रीकी देशों से चीतों को विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में लाना है।
- इसका नेतृत्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) कर रहा है।
- हाल ही में, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीतों को पुनः लाया गया।
- चीतों को IUCN द्वारा संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है; वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II।
- कुनो एनपी और गांधी सागर में केन्या में मासाई मारा (एक राष्ट्रीय उद्यान) के समानांतर एक आदर्श आवास है, जो चीतों के लिए उपयुक्त है।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है और 368.62 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह एक सपाट चट्टानी पठार है जिसकी विशेषता उथली ऊपरी मिट्टी और उजागर शीट रॉक है।
- यह चंबल नदी द्वारा विभाजित है, जिसकी सीमाओं के भीतर गांधी सागर बांध और जलाशय है।

- **वनस्पति और जीव:**
  o वनस्पति: अभयारण्य में सवाना पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें शुष्क पर्णपाती पेड़ों के साथ खुले घास के मैदान हैं। अभयारण्य के भीतर नदी घाटियाँ सदाबहार वनस्पति का समर्थन करती हैं।
  o जीव: अभयारण्य वन्यजीवों की एक विविध श्रेणी का घर है, जिसमें तेंदुए, सुस्त भालू, धारीदार लकड़बग्घा, भूरे भेड़िये, सुनहरे सियार, जंगली बिल्लियाँ, भारतीय लोमड़ी और दलदली मगरमच्छ जैसी प्रजातियाँ शामिल हैं।

बन्नी घास के मैदानों के बारे में:

- बन्नी घास का मैदान गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जो लगभग 3,847 वर्ग किमी में फैला हुआ है।
- जलवायु शुष्क और अर्ध-शुष्क है, जिसमें बहुत गर्म ग्रीष्मकाल (45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान) और हल्की सर्दियाँ (12 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस) होती हैं, मुख्य रूप से मानसून के दौरान 300-400 मिमी वार्षिक वर्षा होती है।
- वनस्पति: घास जैसे कि डाइकैंथियम, स्पोरोबोलस और सेंचरस प्रजातियाँ, नमक-सहिष्णु पौधे, झाड़ियाँ और बबूल और आक्रामक प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसे पेड़।
- जीव: भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजहंस और विभिन्न शिकारी पक्षी, सरीसृप और अकशेरुकी।
- यह मालधारी जैसे चरवाहे समुदायों द्वारा बसा हुआ है, जो अपनी आजीविका के लिए पशुधन चराई (मवेशी, भैंस और भेड़) पर निर्भर हैं।
- शुष्क परिस्थितियों के कारण कृषि सीमित है, कुछ क्षेत्रों का उपयोग नमक उत्पादन के लिए किया जाता है।

UPSC Prelims PYQ : 2024

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. शेरों का कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता।
2. अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत, चीते दहाड़ते नहीं हैं।
3. नर शेरों के विपरीत, नर तेंदुए गंध चिह्नों द्वारा अपने क्षेत्र की घोषणा नहीं करते।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: a)

Page : 08 Editorial Analysis

No population Census — in the dark without vital data

S. Irudaya Rajan

Chair, International Institute of Migration and Development (IIMAD), Thiruvananthapuram, Kerala

U.S. Mishra

Visiting Professor, International Institute of Migration and Development, Thiruvananthapuram, Kerala

The Census is not limited to being a mere population count; it includes a wide range of crucial locational, familial and individual information

The Indian decadal Census has been delayed by more than three years now despite several concerns having been raised about the consequences of not having a Census. In fact, there is an overwhelming misconception among officials on substituting the Census with alternative ways and means of counting the population.

The Census is not limited to offer a population count. It includes a wide range of locational, familial and individual information that serves to understand the changing population dynamic in its entirety. The first and foremost limitation of avoiding a Census lies in the reliability of all our large-scale surveys such as National Family Health Survey and Periodic Labour Force Survey carried out on a Census frame that is one and a half decades old.

The need to understand many changes

Further, this decade-and-a-half has been a period of potential transformation not only in population count and its composition but also on many other features relating to education, occupation, employment, health (COVID-19) and livelihoods. Considering the significance of examining these features, delaying the Census sounds most irresponsible. To think of an alternative to the Census is naive. However, there is universal echo on conducting a caste Census to serve political ends more than development planning, which undoubtedly reveals the limited understanding on the utility of a Census and its relevance for course correction in many presumed strategies for human welfare.

Missing the 2021 Census can never be an excuse given that a general election was conducted in the midst of all uncertainties. The machinery needed for a Census exercise is perhaps quite comparable to that of an election. Therefore, it feels like the Census is being avoided more than being delayed, with undue reasons.

However, opinions are not scarce on evaluating government schemes and programmes in terms of their coverage and consequential impact. Unfortunately, without a proper denominator, monitoring the success of any programme will be misleading.

The urgency of having a population Census and not delaying it any more has numerous grounds of reasoning, particularly a rapid demographic transition and the resultant demographic dividend. A population Census is more than necessary to reveal these changes along with familial structures, locational distribution and occupational composition. Further, in the absence of a Census frame, the surveys carried out will be less reliable and representative which has been the basis of generating a whole host of SDG indicators. And the measure of progress in the SDG claimed, based on these indicators, may well be under scrutiny given their statistical inadequacies.

The world population prospects reveal unique features of population change and good demographic data, which will be of great significance for population giants such as India and China more than for other regions of the world. Given that the world population scenario is greatly influenced by Indian population features, it is essential to have the reality of its population features obtained in the Census rather than presuming estimated values based on past trends that depend on projections and extrapolations. Rendering the Census exercise to be a mere population count is a misnomer that needs to be reiterated for a wider audience.

In the prevailing SDG environment, there has been an obsession with regard to the generation of a wide range of indicators with disaggregation below the sub-national level. Such indicators pertain to many dimensions that need a standardisation by population count (not only aggregate but also its segmented count by age, sex and many other attributes), that is compromised in the absence of a Census. Approximated numbers or survey-based estimates are quite insufficient to represent changing realities.

The caste Census cry

While the urgency and the immediacy of a Census exercise does not appear to be on the horizon, political masters are engaged in raising the need for a caste Census to serve their purposes. In fact, a caste auditing in India at a time when we claim everything to be rosy seems to be out of place.

The history of the Census exercise makes it clear that such an auditing was made in its initial phases, and that its discontinuation must have a reason. No one should be misled that a caste auditing is backed by a genuine intent of reading inclusion of different caste groups. It is largely to establish differential entitlements citing a lack of representation and deprivation. However, tangible endowments are perhaps a limited way to diagnose deprivation rather than making an assessment of the intangible domains such as education and occupation. Unfortunately, there is a complete absence of any systematic assessment of mobility in the said domains of education and occupation against the axis of caste despite sustained affirmative action for so long.

Finally keeping the Census at bay is perhaps in the interest of the state to claim progress and betterment basing on numerators alone without its appropriate denominator in the computation of indicators. Hence, the scientific community should convey the need for a Census without any further delay to get out of the illusion that surveys and many other administrative statistics are a replacement for the Census. So the key apprehension remains: has the Census been delayed? Or is there a convincing attempt to avoid the Census?

GS Paper 02 : शासन: पारदर्शिता और जवाबदेही, नागरिक चार्टर

(UPSC CSE (M) GS-1 2020) क्या बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में जाति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है? उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को विस्तृत करें। (200 words/10m)

Practice Question : नीति-निर्माण और सतत विकास लक्ष्यों के मापन पर विलंबित भारतीय दशकीय जनगणना के प्रभाव का विश्लेषण करें। सटीक जनसांख्यिकीय और विकास नियोजन के लिए समय पर जनगणना डेटा क्यों महत्वपूर्ण है? (250 w/15m)

संदर्भ :

- लेख भारतीय दशकीय जनगणना में महत्वपूर्ण देरी पर चर्चा करता है, तथा व्यापक जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है।
- यह जनगणना को वैकल्पिक तरीकों से बदलने के बारे में गलत धारणाओं की आलोचना करता है तथा जनसंख्या गतिशीलता, सरकारी योजनाओं और वैश्विक जनसांख्यिकीय रुझानों को समझने के लिए सटीक डेटा के महत्व पर प्रकाश डालता है।

परिचय

- भारतीय जनगणना, जो तीन वर्षों से अधिक समय से विलंबित है, न केवल जनसंख्या गणना के लिए बल्कि विविध स्थानिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- यह देरी अधिकारियों के बीच जनगणना को वैकल्पिक तरीकों से बदलने के बारे में गलत धारणाएँ पैदा कर रही है।

जनगणना के बारे में

- जनगणना केवल जनसंख्या गणना प्रदान करने तक सीमित नहीं है।
- इसमें स्थानिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो बदलती जनसंख्या गतिशीलता को संपूर्णता में समझने का काम करती है।
- जनगणना से बचने की सीमा हमारे द्वारा किए गए सभी बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों जैसे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की विश्वसनीयता में निहित है।

कई बदलावों को समझने की ज़रूरत

- परिवर्तनकारी बदलाव: न केवल जनसंख्या की गणना और उसकी संरचना में बल्कि शिक्षा, व्यवसाय, रोज़गार, स्वास्थ्य (कोविड-19) और आजीविका से जुड़ी कई अन्य विशेषताओं में भी।
- जनगणना की उपयोगिता को सीमित करना: जाति जनगणना को विकास योजना से ज़्यादा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोजित करने पर सार्वभौमिक सहमति है।
- जनगणना मशीनरी और देरी: जनगणना अभ्यास के लिए ज़रूरी मशीनरी शायद चुनाव के लिए ज़रूरी मशीनरी से काफ़ी हद तक तुलनीय है। इसलिए, ऐसा लगता है कि जनगणना को टाला जा रहा है, न कि अनुचित कारणों से।
- जनगणना में देरी से बचना: तेज़ी से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव की तरह ही, पारिवारिक संरचनाओं, स्थानीय वितरण और व्यावसायिक संरचना के साथ-साथ इन बदलावों को प्रकट करने के लिए जनसंख्या जनगणना ज़रूरी से ज़्यादा ज़रूरी है।
- जनगणना फ़्रेम का महत्व: चूँकि किए गए सर्वेक्षण कम विश्वसनीय और प्रतिनिधि होंगे, जो जनगणना फ़्रेम के अभाव में एसडीजी संकेतकों की एक पूरी श्रृंखला बनाने का आधार रहे हैं।
- जनसंख्या संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण डेटा से पता चलता है: जनसंख्या परिवर्तन की अनूठी विशेषताएँ और अच्छा जनसांख्यिकीय डेटा, जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में भारत और चीन जैसे जनसंख्या दिग्गजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
- भारत और विश्व के लिए महत्व: यह देखते हुए कि विश्व जनसंख्या परिदृश्य भारतीय जनसंख्या विशेषताओं से बहुत प्रभावित है, यह आवश्यक है कि जनगणना में इसकी जनसंख्या विशेषताओं की वास्तविकता प्राप्त की जाए, न कि पिछले रुझानों के आधार पर अनुमानित मूल्यों को माना जाए जो अनुमानों और अनुमानों पर निर्भर करते हैं।
- उप-समग्र स्तर पर मानकीकरण की आवश्यकता: ऐसे संकेतक कई आयामों से संबंधित हैं जिन्हें जनसंख्या गणना (न केवल समग्र बल्कि आयु, लिंग और कई अन्य विशेषताओं के आधार पर इसकी खंडित गणना) द्वारा मानकीकृत करने की आवश्यकता है, जो जनगणना के अभाव में समझौता किया जाता है।

जाति जनगणना का रोना

- राजनीति का दूरगामी रोना: राजनीतिक आका अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जाति जनगणना की आवश्यकता को बढ़ाने में लगे हुए हैं।
- जाति लेखा परीक्षा: भारत में जाति लेखा परीक्षा ऐसे समय में हुई है जब हम दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह जगह से बाहर है और इसका उपयोग मुख्य रूप से पीछे छूट गए जरूरतमंदों की सेवा के लिए किया जाता है।
- सामाजिक-आर्थिक तिथि के साथ वास्तविक समर्थन: केस ऑडिटिंग को विभिन्न जाति समूहों को शामिल करने के वास्तविक इरादे से समर्थित किया जाना चाहिए।
- मूर्त निधि: शिक्षा और व्यवसाय जैसे अमूर्त क्षेत्रों का आकलन करने के बजाय अभाव का निदान करने का एक सीमित तरीका है। दुर्भाग्य से, गतिशीलता के किसी भी व्यवस्थित मूल्यांकन का पूर्ण अभाव है।

आगे का रास्ता:

- जाति डेटा का समावेश: अन्य जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ-साथ जाति डेटा की गणना को अनिवार्य बनाने के लिए 1948 के जनगणना अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह व्यापक जाति-वार डेटा एकत्र करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।
- स्वतंत्र अध्ययन और पायलट सर्वेक्षण: सरकार को जातियों और उप-जातियों पर डेटा एकत्र करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर स्वतंत्र अध्ययन करना चाहिए।

जनगणना क्या है?

- **ऐतिहासिक संदर्भ और आवृत्ति:**
  o भारत की पहली समकालिक जनगणना 1881 में भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के अधीन हुई थी। तब से, यह बिना किसी रुकावट के हर दशक में आयोजित की जाती रही है।
  o जबकि भारत की जनगणना अधिनियम 1948 कानूनी ढांचा प्रदान करता है, यह अनिवार्य आवृत्ति निर्दिष्ट नहीं करता है।
  · दशकीय पैटर्न एक संवैधानिक आवश्यकता के बजाय एक परंपरा है।
  · गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय इस दशकीय गणना अभ्यास के संचालन की जिम्मेदारी की देखरेख करता है।

- **उद्देश्य:**
  o जनगणना देश की आबादी का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है, जो प्रगति की समीक्षा, सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन और भविष्य की पहल की योजना बनाने के लिए आधार के रूप में कार्य करती है।

- **पद्धति: जनगणना दो मुख्य चरणों में आयोजित की जाती है:**
  o मकान सूचीकरण/आवास जनगणना: इस प्रारंभिक चरण में सभी संरचनाओं का विवरण दर्ज किया जाता है, जिसमें उनके प्रकार, सुविधाएँ और संपत्तियाँ शामिल हैं।
  o जनसंख्या गणना: यह अधिक व्यापक चरण देश में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करता है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो।

- **वैश्विक परिप्रेक्ष्य:**

o जबकि भारत अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के समान 10-वर्षीय चक्र का पालन करता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे कुछ देश हर पाँच साल में अपनी जनगणना करते हैं।

2011 की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण डेटा

- जनसंख्या: 17.7% बढ़कर 1.21 बिलियन हो गई, जिसमें महिला वृद्धि पुरुषों की वृद्धि से अधिक थी।
- साक्षरता: 73% तक बढ़ गई, जिसमें महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की तुलना में अधिक बेहतर हुई।
- जनसंख्या घनत्व: बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया।
- लिंग अनुपात: बढ़कर 940 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष हो गया।
- धार्मिक जनसांख्यिकी: हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.23% जनसंख्या।
- नई श्रेणी: "कोई धर्म नहीं" विकल्प पेश किया गया, जिसमें 0.24% ने धर्म के रूप में पहचान की।

GEO IAS
It's about quality

United Nations (UN)

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) विशेष एजेंसियां:

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) चार्टर के अनुच्छेद 57 और 63 विशेष एजेंसियों के निर्माण का प्रावधान करते हैं।

FAO

- 1945 में, नव निर्मित संयुक्त राष्ट्र के पहले सत्र द्वारा क्यूबेक सिटी, कनाडा में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) बनाया गया था।

- एफएओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- एफएओ ज्ञान और सूचना का एक स्रोत भी है, और विकासशील देशों को कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन प्रथाओं को आधुनिक बनाने और सुधारने में मदद करता है, जिससे सभी के लिए अच्छा पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

ICAO

- शिकागो कन्वेंशन के तहत, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) की स्थापना 1944 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन (शिकागो कन्वेंशन) पर कन्वेंशन के प्रशासन और शासन का प्रबंधन करता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के सिद्धांत और तकनीक प्रदान करता है और सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देता है।

IFAD

- अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) की स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी, जो 1974-विश्व खाद्य सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक था।
- यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1970 के दशक की शुरुआत में खाद्य संकट के जवाब में आयोजित किया गया था, जब वैश्विक खाद्य कमी के कारण व्यापक अकाल और कुपोषण हो रहा था, मुख्य रूप से अफ्रीका के सहेलियन देशों में।

ILO

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका अधिदेश सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सभ्य कार्य को बढ़ावा देना है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करता है, काम पर अधिकारों को बढ़ावा देता है और सभ्य रोजगार के अवसरों, सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि और काम से संबंधित मुद्दों पर संवाद को मजबूत करने को प्रोत्साहित करता है।
- राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में, इसे 1919 में वर्सेल्स की संधि के भाग के रूप में बनाया गया था, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था।
- 9 अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन और 10 सिफारिशें जो उद्योग में काम के घंटे, बेरोजगारी, मातृत्व सुरक्षा, महिलाओं के लिए रात का काम, न्यूनतम आयु और उद्योग में युवा व्यक्तियों के लिए रात के काम से संबंधित थीं, दो साल से भी कम समय में (1922 तक) अपनाई गईं।
- संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर करके जिसके द्वारा ILO 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी बन गई।
- संगठन ने 1969 में अपनी 50वीं वर्षगांठ पर श्रमिकों के लिए सभ्य काम और न्याय को आगे बढ़ाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता।

- इसने इस बात पर जोर दिया कि काम का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है: सभी के लिए सभ्य काम संभव है लेकिन समाजों को इसे संभव बनाना होगा।
- यह ठीक इसी अनिवार्यता के साथ है कि ILO ने 2019 में अपनी शताब्दी मनाने की पहल के हिस्से के रूप में कार्य के भविष्य पर अपना वैश्विक आयोग स्थापित किया।
- इसका काम कार्य के भविष्य की गहन जांच करना है जो 21वीं सदी में सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए विश्लेषणात्मक आधार प्रदान कर सकता है।

IMF

- संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन (1944, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है), ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के लिए आयोजित किया गया था।
- इसके परिणामस्वरूप 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की नींव रखी गई।

विश्व बैंक

- संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन (1944, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है), द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के लिए आयोजित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1945 में IBRD की नींव रखी गई। IBRD विश्व बैंक की संस्थापक संस्था है।

IMO

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) - संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, जो शिपिंग की सुरक्षा और सुरक्षा तथा जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है।

ITU

- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की सभी विशेष एजेंसियों में सबसे पुरानी है।
- इसकी स्थापना 1865 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विटजरलैंड में है। यह सरकारों (सदस्य राज्यों) और निजी क्षेत्र (क्षेत्र के सदस्य, सहयोगी और शिक्षाविद) के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांत पर काम करता है।
- ITU एक प्रमुख वैश्विक मंच है, जिसके माध्यम से पार्टियाँ ICT उद्योग की भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाले मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आम सहमति बनाने की दिशा में काम करती हैं।

- यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करता है, तकनीकी मानकों को विकसित करता है जो नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों को निर्बाध रूप से आपस में जोड़ना सुनिश्चित करते हैं, और दुनिया भर में वंचित समुदायों तक आईसीटी की पहुँच में सुधार करने का प्रयास करता है।

यूनेस्को

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की स्थापना 1945 में स्थायी शांति के निर्माण के साधन के रूप में "मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता" विकसित करने के लिए की गई थी। यह पेरिस (फ्रांस) में स्थित है।
- इस भावना में, यूनेस्को लोगों को घृणा और असहिष्णुता से मुक्त वैश्विक नागरिक के रूप में जीने में मदद करने के लिए शैक्षिक उपकरण विकसित करता है।
- सांस्कृतिक विरासत और सभी संस्कृतियों की समान गरिमा को बढ़ावा देकर, यूनेस्को राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करता है।

UNIDO

- संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) गरीबी में कमी, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है।

WHO

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है और आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:
- वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करना,
- स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडे को आकार देना,
- मानदंड और मानक निर्धारित करना,
- साक्ष्य-आधारित नीति विकल्प प्रदान करना,
- देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना,
- स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और आकलन करना।

Will be continue...